संख्या-57/2024/1439/003-87-01002-001-2-2022

प्रेषक,

सुनील कुमार चौहान,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3432/यूपीनेडा-प्रचार प्रसार/बजट/2024-25, दिनांक 20 सितम्बर, 2024 एवं पत्र संख्या-3988नेडा/पीयूबी/बजट-प्लान/12-13, दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति के प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) में से शासनादेश दिनांक 14-06-2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) एवं शासनादेश दिनांक 08-08-2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। उक्त के सापेक्ष अवशेष बची सम्पूर्ण धनराशि रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख मात्र) को तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत धनराशि नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है
र इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5- धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने एवं उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु यूपीनेडा उत्तरदायी होंगे।

6- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी यूपीनेडा का होगा।

7- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

8- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10- यूपीनेडा द्वारा अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जायेगा।

11- यूपीनेडा द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबतद्ध ढंग से विलम्बतम 31-03-2025 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की अद्यतन प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतरू कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2025 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010311 उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति का प्रचार प्रसार मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-71-X-2024-25-दिनांक : 25-10-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

संख्या-57/2024/1439(1)/003-87-01002-001-2-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(6) निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।